



सा./No. : 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 11.05.2018

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख
The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

महोदय/महोदया / Sir/Madam,

सीएसआईआर के दिनांक 21.09.2017 के पत्रांक 5-1(302)/2015-पी.डी. का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भत्तों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में दिनांक 06.07.2017 का संकल्प सं. 11-1/12016-आई.सी. पृष्ठांकित था, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल उन्हीं भत्तों का भुगतान संशोधित दरों पर किया जाता रहेगा, जिन भत्तों का भुगतान अब तक सीएसआईआर द्वारा किया गया है और भारत सरकार द्वारा उन्हें समाप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएसआईआर द्वारा स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से अंगीकार नहीं किए गए भत्तों का भुगतान सीएसआईआर कर्मचारियों को नहीं किया जाए।

Reference is invited to the CSIR Letter No. 5-1(302)/2015-PD dated 21.09.2017 wherein the Resolution No. 11-1/12016-IC dated 06.07.2017 regarding the recommendations of the 7th CPC on allowances was inter-alia endorsed. In this regard, it is clarified that only those allowances which were hitherto paid in CSIR and have not been abolished by the Government of India will continue to be paid at the revised rates. Besides, allowances not expressly and specifically adopted by CSIR should not be paid to the employees of CSIR.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.

भवदीय/Yours faithfully,

(विनोद कुमार /Vinod Kumar)

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US(PD)

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this Circular available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.